<u>अत्यावश्यक</u>

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2)

विषयः– सीधी भर्ती से सेवा में प्रवेश करने वाले कार्मिक को 2 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में रखने एवं परिवीक्षाकाल में उसे नियमित वेतनमान के बजाय निश्चित पारिश्रमिक का भुगतान करने बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशानुसार लेख है कि राज्य सरकार के नीतिगत निर्णयानुसार सीधी भर्ती से सेवा में प्रवेश करने वाले कार्मिक को 2 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में रखने एवं परिवीक्षाकाल में नियमित वेतनमान के बजाय निश्चित पारिश्रामिक का भुगतान करने का निर्णय लिया गया एवं तद्नुसार विविध सेवा नियमों में संशोधन करते हुए इस विभाग द्वारा दिनांक 20.1.2006 को अधिसूचनाऐं जारी की गई ।

राज्य सरकार द्वारा आपके अधीन विभिन्न नियमों/अधिनियमों के अन्तर्गत बनी समितियों/संस्थाओं/निकायों/निगमों/मण्डलों/विश्वविद्यालयों/उपक्रमों आदि में होने वाली नई भर्तियों पर भी उक्त प्रावधान लागू करने का निर्णय लिया गया है ।

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न सेवा नियमों में इस सम्बध में किये गये संशोधनों की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 20.1.2006 की फोटो प्रति संलग्न करते हुये निवेदन है कि कृपया इस सम्बन्ध में उक्त प्रावधान आपके अधीन कार्यरत विभिन्न समितियों/संस्थाओं/निकायों/निगमों/मण्डलों/विश्वविद्यालयों/उपक्रमों से संबधित भर्ती नियमों में सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर इसे लागू कराने हेतु शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करें ।

यहां यह उल्लेखनीय है कि चूंकि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में यह प्रावधान दिनांक 20.1.2006 से लागू किये जा चुके हैं अतः समानता बनाये रखने के उद्देश्य से इस प्रकरण को उच्च प्राथमिकता देकर शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करें एवं प्रगति से इस विभाग को अवगत कराने का श्रम करें ।

(मुकेश शर्मा)
शासन सचिव

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/
शासन सचिव/
<u>विशिष्ठ शासन सचिव</u>

अशा0टीप क्रमांक प07(2)कार्मिक/क–2/2005 पार्ट–।
जयपुर, दिनांक 29 अप्रेल, 2006